बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर ।)

वृहस्पतिवार, तिथि 15 जुलाई, 1976

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—11 एवं 12		1—12
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, 1509, 1510, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523, 1524, 1527, 1528, 1533, 1536, 1539, 1541, 1548, 1553, 1556, 1558, 1562, 1574, 1576.		13—50
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ...		51—75
दैनिक निबंध		77-78

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

परिशिष्ट

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 89 (3) के अन्तर्गत सभामेज पर रखे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर ।

आरोपों पर कार्रवाई ।

46। श्री एस० के० राय—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री नीलकंठ प्रसाद, अ पर मुख्य अभियंता, गंगापुल परियोजना, श्री एस० एन० सहाय, अपर मुख्य अभियंता, भवन निर्माण एवं श्री नन्दकिशोर प्रसाद, अपर मुख्य अभियंता, निरूपण के विरुद्ध विभागीय गंभीर आरोप है, यदि हाँ, तो वे आरोप कौन-कौन से हैं और सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्रवाई की ?

श्री विद्याकर कवि— राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 के राँची-बहरागोरा अंश का निर्माण 1962—66 के बीच हुआ था जिसमें 1968-69 के पूर्व ही फेल्योर नजर आया और इसके लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1975 में गठित द्वयसदस्यीय जाँच-समिति ने अपने प्रतिवेदन में निर्धारित स्टैन्डर्ड एवं स्पेसिफिकेशन का अनुपालन नहीं किया जाना तथा पर्याप्त ड्रेनेज नहीं रहने को फेल्योर का मुख्य कारण बतलाया है।

इसके लिए श्री नीलकंठ प्रसाद, अपर मुख्य अभियंता, गंगा पुल परियोजना उपभाग जो उस समय इस पथ के निर्माण के प्रभारी अधीक्षण अभियंता थे, को भी अन्य पदाधिकारियों के साथ जिम्मेवार बतलाया गया है। तदनुसार श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण माँगा गया है जिसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 1976 निर्धारित है।

उक्त द्वयसदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार श्री नन्द किशोर प्रसाद, अपर मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जो फरवरी, 1971 से जनवरी, 2974 तक राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अपर मुख्य अभियंता थे, को सड़क की मजबूतीकरण एवं

पुनर्निर्माण के लिए 2.22 करोड़ रुपए के प्राक्कलन को बिना विस्तृत एवं समुचित अन्वेषण के तैयार करने के लिए अन्य पदाधिकारियों के साथ जवाबदेह कहा गया है, जिसके चलते फिजूल का खर्च हुआ। साथ ही, जनवरी, 1972 के बाद सड़क का पुनर्निर्माण एवं मजबूतीकरण के कार्य में समुचित गुण नियंत्रण सुनिश्चित नहीं करने के लिए भी उत्तरदायी बतलाया गया है।

तदनुसार श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 1976 निर्धारित है।

श्री एस० एन० सहाय, अपर मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध कोई विभागीय आरोप नहीं है।

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन में मुख्य अभियंता के रूप में इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि से सम्बन्धित दो मामले हैं :—

(1) पहला मामला कलकत्ते के एक फर्म मेसर्स पार्टस सर्विस इण्डिया से रोड रोलर के क्रय से सम्बन्धित है। इसकी जाँच विधान सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा की गई है। प्राक्कलन समिति का बासठवाँ प्रतिवेदन जो इस विषय पर एक विशेष प्रतिवेदन है, सदन में दिसम्बर, 1975 को उपस्थापित किया गया है। समिति की अनुशंसा के अनुसार इस मामले की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा करायी जा रही है।

(2) दूसरा मामला मेसर्स बाडेरा इम्प्लाइज कारपोरेशन तथा मेसर्स राजीव कमल एजेन्सी से ट्रैक्टर के क्रय से सम्बन्धित है। श्री सहाय से इस मामले में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है :—

(क) जब केवल 1,920 रुपए अधिक कीमत पर मेसर्स राजीव कमल एजेन्सी का 24.50 अश्वशक्ति का ट्रैक्टर प्राप्त हो चुका था, तो सभी 17 ट्रैक्टरों की आपूर्ति आदेश उसी कम्पनी को न देकर 15 अश्वशक्ति के 10 ट्रैक्टरों की आपूर्ति आदेश मेसर्स बाडेरा इम्प्लाइज कारपोरेशन को किस परिस्थिति में दिया गया।

(ख) आपूर्ति के पूर्व मेसर्स बाडेरा इम्प्लाइज कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले ट्रैक्टरों की जाँच करवा ली गई थी अथवा नहीं। यदि जाँच पूर्व में नहीं की गई तब किस परिस्थिति में ट्रैक्टर की कीमत का 90 प्रतिशत अधिक की शर्त मान ली गई।